



शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर (म.प्र.)

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु सूचना पत्र

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर के अंतर्गत म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद भोपाल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक **03-06-2026** तक आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम	योग्यता	अवधि	सीट
1.	डी. फार्मसी (आयुर्वेद)	डिप्लोमा	12वीं उत्तीर्ण (बायोलॉजी से)	02 वर्ष	50
2.	पंचकर्म टेक्नीशियन	प्रमाणपत्र	12वीं उत्तीर्ण (किसी भी संकाय से)	01 वर्ष	50

1. पाठ्यक्रम शुल्क विवरण:-

विवरण	डी. फार्मसी (आयुर्वेद)		पंचकर्म टेक्नीशियन
	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	एक वर्षीय
प्रशिक्षण शुल्क	59,360/-	59,360/-	42,860/-
प्रवेश शुल्क	1,000/-	-	1,000/-
सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद	1,000/-	1,000/-	1,000/-
प्रयोगशाला शुल्क	1,000/-	1,000/-	1,000/-
पुस्तकालय शुल्क	1,000/-	1,000/-	1,000/-
आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	1,000/-	-	1,000/-
महाविद्यालय विकास शुल्क	3,000/-	-	3,000/-
सुरक्षा निधि	5,000/-	-	5,000/-
योग	72,360/-	62,360/-	-
कुल योग	1,34,720/-		55,860/-

2. **आवेदन शुल्क:-** आवेदन पत्र अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रू. 300/- तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए रू. 200/- का ऑनलाइन या नगद राशि भुगतान कर महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

3. शैक्षणिक योग्यता/अर्हता -

डी. फार्मसी (आयुर्वेद)/			पंचकर्म टेक्नीशियन	
अनारक्षित संवर्ग	12 वीं उत्तीर्ण (बायोलॉजी से)	न्यूनतम प्राप्तांक 40 %	12वीं उत्तीर्ण (किसी भी संकाय से)	न्यूनतम प्राप्तांक 40 %
आरक्षित संवर्ग	12 वीं उत्तीर्ण (बायोलॉजी से)	न्यूनतम प्राप्तांक 33 %	12 वीं उत्तीर्ण (किसी भी संकाय से)	न्यूनतम प्राप्तांक 33 %

4. **आयु सीमा-** उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु विज्ञापन प्रकाशन की अंतिम तिथि तक 17 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. **आरक्षण -** म.प्र.सह-चिकित्सीय परिषद भोपाल द्वारा अधिसूचित निर्देशानुसार उपलब्ध स्थानों में से अधिकतम 10% स्थान विभागीय कर्मचारियों हेतु आरक्षित हैं। शेष उपलब्ध स्थानों में म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों के प्रावधान लागू होंगे।

6. **मूल निवासी पात्रता-** म.प्र. शासन द्वारा जारी मूल निवास प्रमाणपत्र धारी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जावेगी।

7. **चयन प्रक्रिया-** प्रवेश हेतु रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया से सम्बंधित समस्त सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल एवं वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। सभी अभ्यर्थियों की स्वयं की जिम्मेदारी है कि समय समय पर सूचना पटल एवं वेबसाईट <https://gac.edu.in/> का अवलोकन करते रहें

- अन्यथा संस्था जिम्मेदार नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता क्रम के अनुसार अपनी बारी आने पर स्वयं निर्धारित तिथि एवं समय पर काउंसलिंग हेतु उपस्थित नहीं होते हैं उनके प्रवेश संबंधी समस्त अधिकार समाप्त हो जाएंगे।
8. यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोड़ता है अथवा बिना सूचना दिए लम्बे समय तक अनुपस्थित रहता है तो इस स्थिति में छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमा समस्त शुल्क राजसात कर लिया जाएगा।
 9. प्रवेश के समय रू. 5000/- सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा, पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात यह राशि छात्र/छात्रा को बिना ब्याज के प्रतिदेय (वापिस) की जाएगी।
 10. उपरोक्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक हैं, अध्ययन के दौरान किसी भी अन्य नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन की पात्रता नहीं होगी।
 11. आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में प्रवेशित अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित विभिन्न योजनाओं एवं शासकीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर संचालित योजनाओं का लाभ, निर्धारित पात्रता नियमों के अनुसार प्रदान किया जा सकेगा। यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाती है, तो छात्र/छात्राओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर समस्त शुल्क स्वयं जमा करना अनिवार्य होगा।
 12. आयुष विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों हेतु 10% स्थान आरक्षित हैं विभागीय सेवारत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम में आवेदन किए जाने संबंधी सूचना सक्षम अधिकारी को देनी होगी एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में आवेदक का आवेदन आमाम्य किया जाएगा।
 13. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने विगत वर्षों में सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर अनिवार्य शुल्क में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त की है उन्हें इस सत्र में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उपरोक्त शासकीय योजनाओं के अंतर्गत छूट की पात्रता नियमानुसार नहीं होगा।
 14. **अनुशासन नियंत्रण-** सभी छात्र/छात्रा संस्था प्रमुख के अनुशासित नियंत्रण में रहेंगे। यदि किसी छात्र/छात्रा का आचरण महाविद्यालय के नियमों के विपरीत पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशानात्मक कार्यवाही की जाएगी।
 15. प्रवेशित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय/पैरामेडिकल काउंसिल के नियमानुसार सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 75% उपस्थिति एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 85% उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के साथ साथ म.प्र. शासन से मिलने वाले लाभ से भी वंचित हो सकते हैं।
 16. **अभिलेख संबंधी** - प्रवेश के समय आवेदन के साथ निम्नलिखित मूल दस्तावेज एवं स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन अमान्य होंगे।
 1. आवेदन पत्र/ आवेदन शुल्क रसीद
 2. 10 वीं की अंकसूची
 3. 12 वीं की अंकसूची
 4. मूलनिवासी प्रमाण पत्र
 5. जाति प्रमाणपत्र (आरक्षित संवर्ग के आवेदकों हेतु)
 6. आय प्रमाणपत्र (आरक्षित संवर्ग के आवेदकों हेतु)
 7. ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र (केवल ई.डब्ल्यू.एस. संवर्ग के आवेदकों हेतु)
 8. आई.डी. प्रूफ (आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटरकार्ड/राशन कार्ड)
 9. समग्र आई.डी.
 10. पासपोर्ट साइज़ के 02 रंगीन फोटो
 11. अनापत्ति प्रमाण पत्र (विभागीय कर्मियों के लिए)
 12. स्थानांतरण प्रमाण पत्र
 13. माइग्रेशन प्रमाण पत्र
 14. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)

नोट:- प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी हेतु श्री शिवनाथ कुर्मी (मोब.-8959220556), महाविद्यालयीन छात्र कक्ष से संपर्क किया जा सकता है।

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय
गीताधाम रोड, ग्वारीघाट जबलपुर (म.प्र.) 482008

Email:-pri.ayurvedajbp@gmail.com



Office- 0761-2970733

-:आवेदन पत्र:-

पाठ्यक्रम:- _____

1. आवेदक का नाम	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो</div>
2. पिता का नाम	
3. जन्मतिथि	
4. जाति/संवर्ग	
5. पत्र व्यवहार का पता	
6. स्थाई पता	
7. फोन/मोबाइल नं.	
8. शैक्षणिक योग्यता	
9. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित)	1. हाई स्कूल अंकसूची 2. हायर सेकेण्डरी अंकसूची 3. निवास प्रमाण पत्र 4. जाति प्रमाण पत्र 5. आय प्रमाण पत्र 6. ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र 7. आई.डी. प्रूफ (आधार कार्ड/पेन कार्ड/वोटरकार्ड/राशन कार्ड)	8. समग्र आई.डी. 9. अनापत्ति प्रमाण पत्र (विभागीय कर्मियों के लिए) 10. स्थानांतरण प्रमाण पत्र 11. माइग्रेशन प्रमाण पत्र 12. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)

-: घोषणा पत्र :-

मैं, प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर